न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 05/2020 पीठासीन अधिकारी – अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

अनवान

1 लक्ष्मीनारायण पिता जगनाथ मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 कमलेश पिता गोपाल मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 कमला पुत्री देबी मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 गीता पत्नि गोपाल मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 दुर्गालाल पिता भीवडा मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 नेराज पुत्री भीवडा मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
7 फोरिया पुत्री भीवडा मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
8 भूरीदेवी पत्नि भीवडा मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
9 मदन पिता देबी मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
10 माधू पिता देबी मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
11 रामसुख पिता जगनाथ मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
12 इन्द्रा पुत्री भीवडा मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
13 सुरेन्द्र पिता भीवडा मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
14 सुरमा पुत्री गोपाल मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
15 सुशीला पुत्री गोपाल मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
16 सोदान पिता देबी मीणा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

———————(प्रार्थीगण)

बनाम

1 गोपाल पिता हरजी जाट उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 सांवरलाल पिता खाना जाट उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 हरकचन्द पिता रामकिशन चाडा उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 गोपाल पिता हरिकिशन भील उम्र वयस्क निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
–डिलीट

————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्रीमती मदीना बानू

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

दिनांक – 10.03.2021

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 09.01.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम सणगारी पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 147 के **आ.न. 306 रकबा 0.53 हैक्टयर भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 13.01.2020 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 24.02.2021 पर विपक्षी कम 04 को छोडकर शेष विपक्षीगणो को जारी नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी कम 04 की तामील लौटकर अप्राप्त, प्रोसेस दुबारा प्रस्तुति बा[illegible] प्रार्थी ने विपक्षी कम 04 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशि[illegible] अंकन कर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी का अनुरोध स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम [illegible] आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर [illegible]या। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि [illegible] प्रार्थीगण के खाते [illegible] भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृ[illegible] की पत्थरगढ़ी कराने का [illegible] हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोंण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.19 12:11:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलॉं (भीलवाड़ा) राज

Scanned with CamScanner

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम सणगारी पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 147 के **आ.न. 306 रकबा 0.53 हैक्टयर** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक फुलियाकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.19 12:11:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner